APP-A
Crim-I

FROM No. -III

फर्द अहकाम

(नियम–26)

अज अदालत सहायक कलक्टर (एस.डी.ओ.) गुलाबपुरा केम्प कोर्ट– तस्वारियॉ

रतनलाल पिता चम्पालाल जाट निवासी – हरिपुरा बनाम सॉवर लाल पिता मगना जाट निवासी– गरोलिया का खेडा

किस्म मुकदमा–वाद पत्र अन्तर्गत धारा– 88, 92 ए रा.टी.ए. प्रकरण संख्या–304 / 2013

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशयल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
01.06.2018	पत्रावली आज केम्प कोर्ट तस्वारियॉ पर पेश हुई। वकील उभयपक्ष उपस्थित। वकील-उभयपक्ष के द्वारा प्रकरण में अंतिम बहस सूने जाने पर अपनी सहमति व्यक्त करने से वकील उभयपक्ष की बहस को सूनी गयी। वक्त बहस वकील वादी का कथन था कि वादग्रस्त भूमि साबिक रेकार्ड में हरनाथ, उगमा, मगना पिता श्रीराम, मगना पिता सौनाथ, रामा पिता सुखदेव जाट के नाम पर दर्ज थी, जिसमें से खातेदार मगना पिता सौनाथ, हरनाथ व सांवता ने रजिस्ट्रर्ड विकय पत्र से आराजी नम्बर– 81, 82, 84, 85 किता 4 रकबा 10 बीघा 17 बिस्वा भूमि को दिनांक 05.06.1975 को वादीगण को विकय कर कब्जा सुपुर्द कर दिया। जिस पर वादीगण का कब्जा काश्त चला आ रहा है। वकील वादी का बहस में आगे यह भी कथन था कि रजिस्ट्रर्ड विकय पत्र के आधार पर वादीगण के द्वारा खरीद की गई भूमि का नामान्तकरण उनके नाम खुलना चाहिये था। मगर उक्त आराजी अभी भी बेचान कर्ता के नाम चली आ रही है। अन्त में कथन किया कि वादीगण के द्वारा रजिस्ट्रर्ड विकय पत्र के आधार पर खरीद शुदा आराजी वादीगण के नाम दर्ज करवाई जावें। जबकि वकील प्रतिवादी का कथन था कि आराजी जैरबहस का विकय पत्र दिनांक 05.06.1975 का है, जिसमें विक्रेता मगना पिता सौनाथ, हरनाथ पिता श्रीराम, सांवता पिता बलदेव जाट के द्वारा विकय पत्र लिखा जाकर आराजी नम्बर– 81, 82, 84, 85 का विक्रय किया गया है। जिसमें से आराजी नम्बर– 85 रकबा 01 बीघा 07 बिस्वा बिलानाम राजकीय भूमि है। जिसका भी विक्रेताओं के द्वारा बिना अधिकार के विक्रय किया गया है, तथा खातेदार भवाना पिता सौनाथ, मगना पिता श्रीराम, गोकल पिता उगमा के द्वारा किसी भी तरह का विक्रय नही किया गया है, इसलिए प्रथम दृष्टिया ही वादीगण का वाद	सहायक कलेक्टर (S. D. O.) गुलाबपुरा जिला-भीलवाड़ा

Scanned by CamScanner

खारिज योग्य है।

मैंने उभयपक्ष को सूना । बहस पर मनन किया । पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का अध्ययन किया। विवेचन निम्न प्रकार से रहा है।

वादीगण के द्वारा प्रस्तुत जमाबन्दी सम्वत् 2030–2033 मौजा हरिपुरा तहसील हुरडा के अनुसार वादग्रस्त भूमि आराजी नम्बर– 81, 82, 84 अन्य आराजीयात के साथ खिया पिता सवाईराम जाट 1/2, रामा पिता सुखदेव हिस्सा 1/4, श्रीराम पिता हमीरमल हिस्सा 1/4 जाट साकिन देह दर्ज रिकार्ड होना प्रकट आया है।

यहाँ वादीगण का कथन है कि वादग्रस्त भूमि को उनके द्वारा रजिस्ट्रर्ड विक्रय पत्र दिनांक 05.06.1975 को क्रय की गई थी। अपने कथनों की पृष्टि में उनके द्वारा विक्रय पत्र की फोटो प्रति उपलब्ध कराई गई। रजिस्ट्रर्ड विक्रय पत्र दिनांक 03.09.1975 के अनुसार मगना पिता सौनाथ जाट निवासी गरोलिया का खेडा, हरनाथ पिता श्रीराम जाट, सांवता पिता बलदेव जाट, निवासी हरिपुरा के द्वारा ग्राम हरिपुरा की आराजी नम्बर– 81 82 84 85 किता 4 रकबा 10 बीघा 17 बिस्वा को 800/– रु. में रतन लाल पिता चम्पालाल, रामकरण पिता भँवरलाल जाट निवासी हरिपुरा को विकय किया जाना प्रकट आया है।

चुँकि उक्त विक्रय पत्र दिनांक 03.09.1975 से वादग्रस्त भूमि का विक्रय मगना पिता सौनाथ, हरनाथ पिता श्रीराम, सांवता पिता बलदेव जाट, के द्वारा किया गया है। पत्रावली पर उपलब्ध जमाबन्दी सम्वत् 2031–2033 के अनुसार रजिस्ट्रर्ड विक्रय पत्र दिनांक 03.09.1975 को मगना पिता सौनाथ, हरनाथ पिता श्रीराम जाट खातेदार ही नही थे। हरनाथ पिता श्रीराम का नाम नामान्तकरण संख्या– 13 दिनांक 23.06.1976 से दर्ज रिकार्ड हुआ है। मगना पिता सौनाथ का नाम नामान्तकरण संख्या– 16 दिनांक 23.06.1976 से नाम दर्ज रिकार्ड हुआ है इस प्रकार विक्रय पत्र दिनांक 03.09.1975 को मगना व हरनाथ को भूमि विक्रय करने का कोई विधिक अधिकार नही था, साथ ही रजिस्ट्रर्ड विक्रय पत्र के अनुसार वादग्रस्त भूमि को सांवता पिता बलदेव के द्वारा भी विक्रय किया गया था। जबकि विक्रय पत्र दिनांक 03.09.1975 को सांवता पिता बलदेव खातेदार था, इस बाबत कोई राजस्व रिकार्ड पत्रावली पर उपलब्ध नही कराया गया है। साथ ही रजिस्ट्रर्ड विक्रय पत्र दिनांक 03.09.1975 के अनुसार आराजी नम्बर– 81, 82, 84 के साथ

सहायक कलेक्टर
(S. D. O.) गुलाबपुरा
जिला-भीलवाड़ा

Scanned by CamScanner

[illegible]

"निर्णय"

[illegible]

Scanned by CamScanner